राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश

8, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल

क्र./एन.एच.एम./शिशु स्वास्थ्य/2020/ 6848 भोपाल, दिनांक 27/05/2020

प्रति,

1. **सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,**
   जिला चिकित्सालय उज्जैन, रतलाम, देवास, भिण्ड, गुना, मुरैना, श्योपुर, भोपाल, होशंगाबाद, विदिशा, मण्डला, कटनी, नरसिंहपुर, बड़वानी, खण्डवा, झाबुआ, दमोह, छतरपुर, सतना
2. **अधीक्षक,**
   रानी दुर्गावती चिकित्सालय, जबलपुर
3. **प्रभारी,**
   सिविल अस्पताल, पी.सी. सेठी इन्दौर
   मध्यप्रदेश

विषयः–जिला अस्पताल में स्थापित नियोनेटल–हाई डिपेंडेंसी यूनिट (N-HDU) के संचालन संबंधी दिशा–निर्देश।

–00–

उपरोक्त विषय में लेख है कि वर्तमान में प्रदेश की नवजात शिशु मृत्यु दर 33 प्रति हज़ार जीवित जन्म है जो कि अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक है। नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लायी जाने हेतु प्रदेश के चिन्हित संस्थाओं में 10 बिस्तरीय नियोनेटल–हाई डिपेंडेंसी यूनिट की स्थापना की गई है, जिसके संचालन हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश निम्नानुसार हैं :–

N-HDU में भर्ती के माप दंड –

- ऐसे समस्त नवजात शिशु जो कि एस.एन.सी.यू. में उपचार उपरांत हीमोडायनेमिकल स्टेबल हों।
- कम वज़न (1800 ग्राम से कम)।
- समय पूर्व जन्में (<34 सप्ताह)।
- पीलिया से ग्रसित।
- एंटीबायोटिक कोर्स पूर्ण किये जाने हेतु।
- फीडिंग सपोर्ट (स्तनपान/Katori - Spoon फीडिंग/Tube फीडिंग सपोर्ट)।
- क्लीनिकल कंडीशन के आधार पर चिकित्सक द्वारा भर्ती किया जाना।

नोट–N-HDU में पृथक से नवजात शिशुओं को भर्ती न किया जाए, इसमें सिर्फ एस.एन.सी.यू. में भर्ती नवजात शिशुओं को ही शिफ्ट किया जाए।

N-HDU हेतु स्वीकृत मानव संसाधन का प्रावधान –

- स्टाफ नर्स – 5 प्रति इकाई
- सपोर्ट स्टाफ – 2 (आया बाई) प्रति इकाई

नोट–एन.–एच.डी.यू. हेतु पृथक से प्रभारी स्टाफ नर्स चिन्हित न की जाए एस.एन.सी.यू. प्रभारी स्टाफ नर्स द्वारा ही N-HDU का संचालन किया जावेगा, साथ ही N-HDU हेतु स्वीकृत मानव संसाधन (स्टाफ नर्स एवं सपोर्ट स्टाफ) की ड्यूटी एस.एन.सी.यू. के ड्यूटी रोस्टर में सम्मिलित कर ली जाएँ।

चिकित्सक के कार्य दायित्व –

N-HDU में भर्ती बच्चों का नियमित रूप से मॉनिटरिंग (सुबह/दोपहर एवं रात्रि) एवं राउंड एस.एन.सी.यू. में कार्यरत चिकित्सक द्वारा प्रति शिफ्ट में कम से कम दो बार एवं आवश्यक होने पर दो से अधिक बार भी राउंड लिया जाए।

स्टाफ नर्स के कार्य दायित्व –

इकाई के संचालन किये जाने हेतु 5 स्टाफ नर्स पदस्थ कर प्रत्येक शिफ्ट में 2:1:1 (सुबह : दोपहर : रात्रि कालीन) के अनुसार ड्यूटी लगाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

ड्यूटी के दौरान प्रत्येक स्टाफ नर्स का कार्य दायित्व निम्नानुसार रहेगा –

- FBNC प्रोटोकॉल अनुसार चिकित्सक के मार्ग–दर्शन में भर्ती नवजात शिशुओं का प्रबंधन एसेप्टिक प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए सुनिश्चित करेंगे।
- N-HDU स्टाफ नर्स प्रतिदिन इकाई में भर्ती नवजात शिशुओं के परिजनों से संवाद कर नवजात शिशु देखभाल से संबंधित परामर्श देंगे, साथ ही कंगारू मदर केयर, छः माह तक सिर्फ स्तनपान, टीकाकरण, साबुन–पानी से हाथ धोना, बीमारी के लक्षण पहचानना आदि से संबंधित परामर्श प्रतिदिन देना सुनिश्चित करेंगे।
- इकाई में उपयोग किये जाने वाले उपकरण जैसे इन्फ्यूजन पम्प, पल्स ऑक्सीमीटर, स्टेथोस्कोप, थर्मामीटर आदि प्रतिदिन स्वंय साफ करेंगे।
- कसेशीट में नर्सेस हेतु निर्धारित मॉनिटरिंग शीट्स में प्रत्येक 2 घंटे में मॉनिटरिंग किया जाना सुनिश्चित करेंगे, साथ ही स्टाफ नर्स ऑर्डर शीट्स में प्रविष्टियाँ दर्ज करेंगे।
- खतरे के लक्षणों की पहचान किया जाना एवं माँ को भी इस संबंध में प्रशिक्षित करना।
- माँ को स्तनपान, कटोरी–चम्मच, ट्यूब फीडिंग में सपोर्ट करना।
- फेमिलि पार्टीसिपेट्री केयर में प्रशिक्षित करना।
- संक्रमण बचाव के संबंध में माँ को जानकारी देना।
- इकाई में नियमित रूप से साफ–सफाई बनाये रखना।
- अन्य महत्वपूर्ण गतिविधि जिससे नवजात शिशु की उत्तरजीवितता बढ़ाया जा सके।
- राज्य स्तर से समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों का पालन।

सपोर्ट स्टाफ के कार्य दायित्व –

N-HDU के सुचारू संचालन हेतु पृथक से 2 आया बाई के पद सपोर्ट स्टाफ के रूप में स्वीकृत किये गये हैं, जिनसे एस.एन.सी.यू. में पदस्थ सपोर्ट स्टाफ के साथ पूल कर कार्य लिया जाना है। उक्त सपोर्ट स्टाफ द्वारा नियमित रूप से संलग्नक–1 अनुसार कार्य लिया जाना है।

N-HDU में कार्यरत समस्त स्टाफ की उपस्थिति बायोमेट्रिक अटेंडेंस मशीन के द्वारा ही मान्य की जावेगी।

N-HDU में नवजात शिशु को उपचार करते समय निम्न बातों का ध्यान रखा जाये –

- N-HDU में वार्ड, टॉयलेट्स, नर्सिंग स्टेशन, अलमिराह एवं वेटिंग सह डाइनिंग एरिया का निर्माण किया गया है।
- वार्ड में नवजात शिशु के भर्ती के दौरान सिर्फ माँ को ही रखा जावेगा (अन्यत्र परिजनों का प्रवेश निषेध रहेगा)।
- भर्ती के दौरान माँ को संस्था से आवश्यक स्लीपर/ऑटोक्लेव गाउन नियमित (दैनिक) प्रदाय किया जाए।
  (माँ के स्वयं के वस्त्र पहनने जैसे साडी/गाउन/सूट इत्यादि पहनने का प्रावधान नहीं रहेगा)
- भर्ती के दौरान नवजात शिशु को समस्त प्रकार का निःशुल्क उपचार एवं जांचे प्रदान की जावेंगी।
- N-HDU हेतु टॉयलेट्स का उपयोग नवजात शिशु की भर्ती माँ के लिए ही किया जावेगा।
- SNCU एवं N-HDU में भर्ती नवजात शिशु की माँ हेतु निःशुल्क खाने की व्यवस्था जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK) अंतर्गत प्रसूता को दी जाने वाली डाइट द्वारा की जाने की ज़िम्मेदारी संस्था प्रभारी (सिविल सर्जन/अधीक्षक) की रहेगी।
- माँ से परिजनों के मिलने की जगह इकाई में चिन्हित वेटिंग एरिया में निर्धारित कर समय भी निर्धारित किया जाए (किसी भी स्थिति में परिजनों के वार्ड में आने की अनुमति नहीं रहेगी)।

- इकाई में माँ के सामान रखे जाने हेतु अलमिराह/लॉकर की व्यवस्था की गई है, अतः माँ का समस्त सामान अलमिराह में ही रखा जाए।
- इकाई के अन्दर माँ के लिये गाउन की व्यवस्था की जाए।

N-HDU का रख–रखव –

- इकाई हेतु आवश्यक रख–रखाव जिले में प्रदाय की गई एस.एन.सी.यू. मेन्टेनेन्स कॉस्ट से गठित समिति द्वारा किया जाना सुनिश्चित करें।

अतः उपरोक्त दिशा–निर्देशों का पालन कर नियोनेटल हाई डिपेंडेंसी यूनिट (N-HDU) का सुचारू संचालन कर इकाई में गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदायगी सुनिश्चित करें।

संलग्न :– साफ–सफाई हेतु चेक लिस्ट

(छवि भारद्वाज)
मिशन संचालक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश

पृ.क्र./आर.सी.एच/शिशु स्वास्थ्य/2020/ 6849 भोपाल, दिनांक 27/05/2020

प्रतिलिपि:–सूचनार्थ

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये, भोपाल, मध्यप्रदेश।
4. अपर मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश।
5. संचालक (वित्त), राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश।
6. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
7. कलेक्टर, जिला–उज्जैन, रतलाम, देवास, भिण्ड, गुना, मुरैना, श्योपुर, भोपाल, होशंगाबाद, विदिशा, मण्डला, कटनी, नरसिंहपुर, बड़वानी, खण्डवा, झाबुआ, दमोह, छतरपुर, सतना, मध्यप्रदेश।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, स्वास्थ्य सेवायें, जिला–उज्जैन, रतलाम, देवास, भिण्ड, गुना, मुरैना, श्योपुर, भोपाल, होशंगाबाद, विदिशा, मण्डला, कटनी, नरसिंहपुर, बड़वानी, खण्डवा, झाबुआ, दमोह, छतरपुर सतना, मध्यप्रदेश।
9. संभागीय आर.एम.एन.सी.एच.ए. समन्वयक, संभाग–उज्जैन, भोपाल, जबलपुर, इन्दौर, रीवा, मध्यप्रदेश।
10. आर.एम.ओ./अस्पताल प्रबंधक, जिला चिकित्सालय उज्जैन, रतलाम, देवास, भिण्ड, गुना, मुरैना, श्योपुर, भोपाल, होशंगाबाद, विदिशा, मण्डला, कटनी, नरसिंहपुर, बड़वानी, खण्डवा, झाबुआ, दमोह, छतरपुर, सतना, मध्यप्रदेश।
11. एस.एन.सी.यू. प्रभारी चिकित्सक, जिला चिकित्सालय उज्जैन, रतलाम, देवास, भिण्ड, गुना, मुरैना, श्योपुर, भोपाल, होशंगाबाद, विदिशा, मण्डला, कटनी, नरसिंहपुर, बड़वानी, खण्डवा, झाबुआ, दमोह, छतरपुर, सतना, मध्यप्रदेश।
12. मेटर्न, जिला चिकित्सालय उज्जैन, रतलाम, देवास, भिण्ड, गुना, मुरैना, श्योपुर, भोपाल, होशंगाबाद, विदिशा, मण्डला, कटनी, नरसिंहपुर, बड़वानी, खण्डवा, झाबुआ, दमोह, छतरपुर, सतना, मध्यप्रदेश।
13. जिला कार्यक्रम प्रबंधक, आर.सी.एच./एन.एच.एम., जिला–उज्जैन, रतलाम, देवास, भिण्ड, गुना, मुरैना, श्योपुर, भोपाल, होशंगाबाद, विदिशा, मण्डला, कटनी, नरसिंहपुर, बड़वानी, खण्डवा, झाबुआ, दमोह, छतरपुर, सतना, मध्यप्रदेश।

मिशन संचालक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश

N-HDU की साफ–सफाई हेतु चेकलिस्ट एवं निर्देश

क्र.	सामान	कैसे साफ करना है	समय	उत्तरदायित्व
1.	ऑक्सीजन हुड, फीडिंग के बर्तन	साबुन और पानी से	प्रतिदिन	वार्ड बाय/ आया बाई
2.	वार्मर, वज़न मशीन, फोटोथेरेपी, पलसऑक्सीमीटर	2 प्रतिशत बेसिलोंइसीड/2 प्रतिशत ग्यूट्रालीहाइड से	प्रतिदिन	वार्ड बाय/ आया बाई
3.	रिससिटीटेशन बेग, रबर ट्यूबिंग, प्लास्टिक ट्यूब, ऑक्सीजन ट्यूबिंग, ह्यूमीडिफायर	सभी भाग अलग अलग करके साबुन के पानी से साफ करने के पश्चात 2 प्रतिशत ग्यूट्रालीहाइड में 4–6 घंटे अथवा 20 मिनिट तक विसंक्रमित करें	प्रत्येक उपयोग के बाद	वार्ड बाय/ आया बाई
4.	गाउन, बेडशीटव इत्यादि	वॉशिंग मशीन में साबुन एवं पानी से धोयें। धूप में सुखाकर प्रेस करें एवं ऑटोक्लेव करें। प्रत्येक ऑटोक्लेव ड्रम पर दिनांक एवं वस्तु के अनुसार नामांकन करें।	प्रत्येक उपयोग के बाद	वार्ड आया/ आया बाई
5.	ग्लास आर्टीकल, स्टील स्वाब, कंटेनर, चिटिल फॉरसेप	साबुन के पानी से धोयें। सूखने के बाद साफ कपड़े में लपेटकर ड्रम में रख कर ऑटोक्लेव करें। प्रत्येक ऑटोक्लेव ड्रम पर दिनांक एवं वस्तु के अनुसार नामांकन करें	प्रतिदिन	वार्ड बाय/ आया बाई
6.	दूध के कंटेनर, कटोरियाँ, पलड़ी, चम्मच इत्यादि	साबुन एवं पानी से साफ करके 20 मिनिट तक उबालें।	उपयोग के बाद	वार्ड बाय/ आया बाई
7.	खिड़कियां एवं ग्लास पार्टीशन	साबुन एवं पानी से	दिन में दो बार– मॉर्निंग एवं इवनिंग शिफ्ट में	वार्ड बाय/ आया बाई
8.	दीवारें	**Three bucket cleaning system** Bucket-1: Mild detergent and water Bucket-2: Plain water Bucket-3: Disinfectant (5% Lysol/3% Phenyl) दीवार की सफाई हेतु उपयोग किये जाने वाले मॉप को गंदा होने पर साबुन के पानी वाली बाल्टी में मॉप को धोयें, फिर साफ पानी की बाल्टी में धोयें, तत्पश्चात विसंक्रामक पदार्थ की बाल्टी में धोयें। अतिरिक्त पानी निकालकर दीवार को ऊपर से नीचे की ओर एक दिशा में साफ करें।	दिन में एक बार इवनिंग शिफ्ट में	वार्ड बाय/ आया बाई
9.	पंखें	पंखे के स्विच को बंद करने के बाद हल्के गीले कपड़े से साफ करें।	प्रति सप्ताह	वार्ड बाय/ आया बाई
10.	ए.सी. जाली	स्विच को बंद करने के बाद जाली को बाहर निकालकर साबुन के पानी से साफ करें। सूखने के पश्चात पुनः लगायें	प्रति सप्ताह	वार्ड बाय/ आया बाई
11.	फ्रिज	डिफ्रास्ट करने के बाद साबुन के पानी से साफ करें	प्रति सप्ताह	वार्ड बाय/ आया बाई
12.	बाल्टी	साबुन के पानी से	प्रतिदिन सुबह के शिफ्ट में	वार्ड बाय/ आया बाई

क्र.	सामान	कैसे साफ करना है	समय	उत्तरदायित्व
13.	सिंक	साबुन के पानी से	प्रतिदिन सुबह के शिफ्ट में, और आवश्यकता के अनुसार	वार्ड बाय/ आया बाई
14.	फर्श साफ करना (Moping of the units)	Disinfect the mops using 5% Lysol or 3% Phenyl **Three bucket cleaning system** Bucket-1: Mild detergent and water Bucket-2: Plain water Bucket-3: Disinfectant (5% Lysol/3% Phenyl) दीवार की सफाई हेतु उपयोग किये जाने वाले मॉप को गंदा होने पर साबुन के पानी वाली बाल्टी में मॉप को धोयें, फिर साफ पानी की बाल्टी में धोयें, तत्पश्चात विसंक्रामक पदार्थ की बाल्टी में धोयें। अतिरिक्त पानी निकालकर इकाई के फर्श को अंदर से बाहर की तरफ एक दिशा में साफ करें।	प्रत्येक शिफ्ट में दो बार	वार्ड बाय/ आया बाई
15.	डस्टबिन	साबुन के पानी से साफ करें, सूखने के बाद संबंधित रंग की पॉलीथिन लगायें	मॉर्निंग एवं इवनिंग शिफ्ट में	सफाई कर्मी
16.	स्लीपर्स	साबुन के पानी से साफ करें	मॉर्निंग एवं इवनिंग शिफ्ट में	सफाई कर्मी

Daily Work Check List

Shift	Wet mopping of floor (Twice in each shift)	Washing of gowns and bedsheets (in all Shifts)	Cleaning of trolley	Remark with signature of sister on Duty
Morning	√	√	√	√
Afternoon	√	√	√	√
Night	√	√	√	√